न्यायालय सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठाकुरद्वारा।

परिवाद संख्या–518/2019

थाना– ठाकुरद्वारा।

इमामुद्दीन बनाम फुरकान।

निस्तारण प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा–311 द.प्र.सं.

21.09.19

आज पेश। पत्रावली आज प्रार्थनापत्र परिवादी इमामुद्दीन अंतर्गत धारा–311 द.प्र.सं. के निस्तारण हेतु नियत है। प्रार्थनापत्र परिवादी की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि परिवादी की पुत्री नईमा खातून व श्रीमती समीना वाद की मुख्य पीड़िता है, किन्तु भूलवश उसके द्वारा नियुक्त पूर्व अधिवक्ता द्वारा वाद के समर्थन में उपरोक्त गवाहान को परीक्षित नहीं कराया गया है। जिससे वाद के गुणदोष के निस्तारण में प्रभाव पड़ेगा और याचना की गयी है कि श्रीमती नईमा खातून एवं रूबीना को अंतर्गत धारा 202 द.प्र.सं. साक्ष्य हेतु प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाए।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत वाद प्रारम्भिक स्तर पर लंबित है। अतः वाद के गुणदोष को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में प्रार्थनापत्र वाद के सुलभ निस्तारण हेतु स्वीकृत किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा–311 द.प्र.सं. स्वीकार किया जाता है। पत्रावली वास्ते शेष साक्ष्य धारा 202 द.प्र.सं. हेतु दिनांक 21.10.19 को पेश हो।

सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,

ठाकुरद्वारा।